भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1776**

जिसका उत्तर मंगलवार, 2 अगस्त, 2022/श्रावण 11, 1944 (शक) को दिया जाना है।

राज्यों को उर्वरकों का आवंटन किया जाना

1776. श्री सतीश चंद्र दूबेः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों को यूरिया, डिएपी, पोटाश इत्यादि जैसे उर्वरक उपलब्ध कराने के नियम क्या हैं;
(ख) वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 मे अभी तक बिहार राज्य द्वारा यूरिया, डिएपी और पोटाश की कितनी मांग की गई है और केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में उक्त उर्वरक उपलब्ध कराये गए हैं; और
(ग) सरकारी दुकानों में उर्वरकों की अनुपलब्धता, जिसके कारण लोग निजी दुकानों से महंगे दामों पर उर्वरक खरीद रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ होने से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता के आकलन के पश्चात, डीएएण्डएफडब्ल्यू उर्वरकों की मौसम-वार, माह-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है।

डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग अंतिम रूप से तैयार उर्वरकों के विनिर्माताओं तथा आयातकों के परामर्श से आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 की धारा 3 के अनुसार उर्वरकों के विनिर्माताओं तथा आयातकों द्वारा सहमति प्राप्त आपूर्ति योजना से महीने-दर-महीने आधार पर संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराता है। यूरिया के पचास प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन के अलावा भारत में उत्पादित या आयातित 20% फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड-6, उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विनियमित किया जाता है।

i देशभर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है।

ii राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की मार्कफेड आदि जैसी संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

iii कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दर्शाये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए उर्वरक की आवश्यकता और उपलब्धता **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

(ग): देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी एक्ट) के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरकों के किसी भी संभावित विपथन को रोकने के लिए उर्वरक नियंत्रण और संचलन आदेशों (एफसीओ और एफएमओ) के तहत एक सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र मौजूद है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को इसके प्रावधानों के उल्लंघनकर्ता और जमाखोरी, विपथन आदि में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

****

अनुलग्नक-क

बिहार

उर्वरक की वर्ष-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	**2020-21**	22.00	26.21	23.30	7.00	8.93	8.12	2.50	3.44	2.61	3.50	4.58	3.63
2	**2021-22**	22.00	22.79	21.53	7.50	5.82	5.52	2.50	1.52	1.38	4.00	4.44	3.96

* सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

** सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री